राजस्व वाद 194/2017 अनवान जसमेलसिंह बनाम स्टेट

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी |
|---|---|
| 12.06.2018 वादी के अधिवक्ता उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करनें पर पाया गया कि वादी द्वारा जिस खाते की भूमि में अपनें नाम को दुरूस्त करवानें का अनुतोष चाहा गया है वह उस खाते में सहखातेदार है वादी अपनें वाद पत्र में ना तो सहकाश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है तथा ना ही अपनें परिवार के सदस्य जो सहखातेदार के रूप में दर्ज है उन्हे पक्षकार बनाया गया है वादी द्वारा अपनें परिवार के सदस्य जो सह खातेदार है, उनके द्वारा अपनें नाम सम्बंधी दुरूस्ती का कोई भी साक्ष्य वाद पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है। इस कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जानें पर वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)<br>(यशपाल आहूजा)<br>उपखण्ड अधिकारी एवम्<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>श्रीगंगानगर | |